

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 186/19

तारीख 18-4-19

01. नारायाण पिता कन्हैयालाल जाति हरिजन उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी कांस्या तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

.....प्रार्थी

बनाम

01. नन्दा पिता देबीलाल जाति हरिजन उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी कांस्या तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

02. बालु पिता भोलु जाति हरिजन उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी कांस्या तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक 14-5-20

प्रार्थना पत्र नारायाण पिता कन्हैयालाल जाति हरिजन उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी कांस्या तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0) ने जरिये अभिभाषक श्री ओमप्रकाश शर्मा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा कांस्या पटवार हल्का कांस्या तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 65 पर अंकित आराजी संख्या 205 रकबा 0-06 बीघा भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।


प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक कांस्या को पत्थरगढी बाबत् कृमिश्नर नियुक्त किया जाता है। *कृमिश्नर शीट 500/- रु. तप किये जाते है जो कस्त पत्थरगढी 1/100 मी. है।*

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा कांस्या पटवार हल्का कांस्या तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 65 पर अंकित आराजी संख्या 205 रकबा 0-06 बीघा भूमि बशामलात पडौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100 /- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया


उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ